



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत आवेदन संख्या

- 4409 वर्ष 2026

धर्मेन्द्र कुमार एवं 3 अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : आफताब अहमद, मोहम्मद आबिद अली

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद आबिद अली, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह आवेदन आवेदकगण की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 880 वर्ष 2024, भारतीय न्याय संहिता, की धारा 333, 324(2), 115(2), 352, 351(3) एवं 110 के अंतर्गत, थाना बहेड़ी, जनपद बरेली में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण को वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि प्राथमिकी के अनुसार आवेदकगण द्वारा सूचनाकर्ता के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की गई तथा गाली-गलौज की गई। यह भी प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान प्रकरण में आवेदकगण को विवेचना के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया तथा उन्होंने विवेचना में पूर्ण सहयोग किया है और उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 333, 324(2), 115(2), 352, 351(3) एवं 110 के अंतर्गत आरोप-पत्र भी दाखिल किया जा चुका है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि कथित अपराध अधिकतम सात वर्ष

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तक के कारावास से दण्डनीय है। आवेदकगण के विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी निवेदित किया गया कि यदि आवेदकगण को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे तथा न्यायालय द्वारा लगाए गए समस्त शर्तों का पालन करेंगे।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया गया।

5. सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं अन्य में प्रकाशित (2020) 5 एससीसी 1 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर विधि को अंतिम रूप से यह प्रतिपादित करते हुए निर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत अनिवार्य रूप से सीमित अवधि के लिए ही नहीं दी जानी चाहिए। उपयुक्त प्रकरण में यह विचारण की समाप्ति तक भी जारी रह सकती है।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित करने अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की संभावना, जिसमें साक्षियों को भयभीत करना भी सम्मिलित है, न्याय से पलायन की संभावना जैसे देश छोड़कर जाने की संभावना आदि पर विचार करना आवश्यक है। यह भी प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालयों को सामान्यतः अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक की आरोपित भूमिका तथा प्रकरण के तथ्यों जैसे विचारों से निर्देशित होना चाहिए, जब यह निर्णय लेना हो कि अग्रिम जमानत प्रदान की जाए या अस्वीकार की जाए। अग्रिम जमानत प्रदान करना या न करना न्यायालय के विवेकाधिकार का विषय है।

7. अग्रिम जमानत से संबंधित विधि के स्थापित सिद्धांतों, आरोपों की प्रकृति, आवेदकगण की भूमिका तथा प्रकरण के समस्त सहवर्ती तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरे विचार में यह प्रकरण आवेदकगण को विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु उपयुक्त है।

8. तदनुसार, आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाएगा। आवेदकगण **धर्मेन्द्र कुमार, जगन लाल, शेखर @ चन्द्रशेखर एवं राजन**, जो उपर्युक्त अपराध में संलिप्त हैं, को विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते वे संबंधित विचारण न्यायालय के संतोष हेतु ₹50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करें, साथ ही निम्न शर्तों के अधीन रहें:-

(i) आवेदकगण विचारण लंबित रहने के दौरान बिना संबंधित विचारण न्यायालय की पूर्व अनुमति के देश से बाहर नहीं जाएंगे।

(ii) आवेदकगण अपने पासपोर्ट, यदि कोई हो, को तत्काल संबंधित न्यायालय में जमा करेंगे। उनका पासपोर्ट संबंधित न्यायालय की अभिरक्षा में रहेगा।

(iii) आवेदकगण किसी भी व्यक्ति, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित है, को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य प्रकट करने से विमुख हो।

(iv) आवेदकगण यह वचन-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन प्रार्थना नहीं करेंगे तथा साक्षी न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि अनुसार आदेश पारित कर सकेगा।

(v) य यदि आवेदकगण जमानत द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, तो सम्बन्धित न्यायालय, **सुशीला अग्रवाल बनाम राष्ट्रीय राजधानी (क्षेत्र दिल्ली राज्य) 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 98** में प्रतिपादित विधि के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(vi) आवेदकगण विचारण न्यायालय के समक्ष (i) प्रकरण के उद्घाटन, (ii) आरोप निर्धारण, एवं (iii) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की संगत धारा 351) के अंतर्गत बयान अंकित कराए जाने की तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहेंगे। यदि विचारण न्यायालय की राय में इस शर्त का उल्लंघन जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना किया गया है, तो इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

10. किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय को प्रदत्त अग्रिम जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति संजीव कुमार)

8 जून, 2026

शुभम

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय. का मूल संस्करण ही मान्य होगा।